# <u>न्यायालयः – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)</u> श्रृंखाला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

<u>Filling No. ST/89/2017</u> <u>S.T. No. 34/2017</u> <u>संस्थित दिनांक–05.12.2017</u>

म0प्र0 शासन द्वारा :— आरक्षी केन्द्र—गढ़ी तहसील व जिला बालाघाट

<u>अभियोजन</u>

## // विरूद्ध ///

फूलिसंह धुर्वे पिता मोहनिसंह उम्र 25 वर्ष जाति बैगा निवासी—ग्राम डोगरिया थाना तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

355 / 2015 को उपार्षित किये जाने के आदेश दिनांक 17 जून, 2015 से उत्पन्न

सत्र प्रकरण}

-----

श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन। श्री आर. के पाठक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

-/// <u>आदेश अंतर्गत धारा 232 द0प्र0सं0</u> ///(आज दिनांक 11 नवम्बर, 2017 को पारित )

1. अभियुक्त पर आरोप है कि उसने दिनांक 01.03.2015 से जून 2014 की अवधि में थाना गढ़ी जिला बालाघ्राट अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में अभियोत्री के साथ विवाह करने का प्रलोभन देकर उसकी इच्छा को नियंत्रित एवं प्रभाव में रखने की स्थिति में होते हुए उसके साथ बलात्संग किया जो धारा 376(2)(क) भा0द0वि0 विकल्प में उक्त समय स्थान में अभियोक्त्री केसाथ विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ बार बार बलात्संग किया जो धारा 376(2)(एन) भा0द0विं0के तहत दंडनीय अपराध है।

- 2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि अभियोक्त्री ने थाने में उपस्थित होकर दिनांक 01.03.2015 को रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी फूलसिंह बैगा निवासी डोंगरिया घर के सामने रहता है वह कक्षा सातवी तक पड़ी है उसके माता पिता मजदूरी करने जाते हैं पिछले साल जून 2014 में वह दिन में घर में अकेली थी तब फूलसिंह प्रार्थी घर आया और कहने लगा कि वह प्यार करता है शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया उसके बाद शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा जिस कारण वह गर्भवती हो गई। माता पिता के डर के कारण रक्षाबंधन में वह अपने वादा—दादी के ग्राम तुमड़ीभाट चली गई। डर से और शर्म के कारण गर्भ की बात किसी को नहीं बताई। दिनांक 24.02 2015 को दिन मंगलवार को वह घर बापस आई तब नौ माह का गर्भ हो गया था। उक्त बात अपने माता पिता को बताई।
- 3. दिनांक 26.02.2015 गुरूवार को 04.00 बजे सुबह बच्चा पैदा हुआ। फूलसिंह बैगा को शादी करने का कहा तो उसने मना कर दिया। शादी का झांसा देकर फूलसिंह ने लगातार शारीरिक संबंध बनाकर गलत कार्य किया। वह थाना अपने मां बाप के साथ आई है रिपोर्ट करती है। उक्त प्रथमसूचना लेख कराने पर थाना गढ़ी ने अपराध कमांक 16/2015 धारा 376 भा0द0वि0 के अधीन आरोपी फूलसिंह के विरूद्ध प्रथमसूचना लेख कर अपराध कायम किया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया है सहमति ली गई। एम.एल. सी. कराई गई। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, उसकी एम.एल.सी. कराई गई। जप्त संपत्तियां एफ.एस.एल. सागर भेजी गई, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 4. अभियुक्त ने आरोपित अपराध सुनकर आरोपी अस्वीकार किया उसका अभिवाक् श्रीमान जे.एम. चतुर्वेदी तत्कालीन प्रथम अपर जिला न्यायाधीश

के न्यायालय के अति. जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा तैयार कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् लेख किया गया है। अभियुक्त ने स्वयं के परीक्षण में साक्षियों द्वारा रंजिशवश झूटा कथन करना, उसके द्वारा कोई अपराध न करना और वह निर्दोष है आधार लिया है।

### 5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(अ) क्या अभियुक्त ने जून 2014 से 01.03.2015 की अवधि मं अभियोक्त्री पुत्री बुधिसंह धुर्वे को शादी का प्रलोभन देकर उसकी स्वतंत्र इच्छा अथवा उसकी सहमित के बिना अभियोक्त्री पर नियंत्रण और प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए इन्द्रियभोग कर बलात्संग किया?

#### विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

- 6. अभियोक्त्री अ.सा.02 ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपी को पहचानती है। आरोपी ने उसके साथ कोई ह ाटना नहीं की। प्रथमसूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौकानक्शा प्रदर्श पी 2 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पटवारी का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सहमति पत्र प्रदर्श पी 4 है उसने डाक्टरी परीक्षण के लिए दी थी, पुलिस ने डाक्टरी परीक्षण कराया था। किसी ने भी उसके साथ गलत काम नहीं किया है। सूचक प्रश्न के उत्तर में पद क्रमांक 2 में दिये गये सुझावों को इंकार किया है तथा प्रदर्श 5 का अ से अ भाग का कथन देना इंकार किया है। आरोपी के विरुद्ध बैहर न्यायालय में कथन देना इंकार किया है।
- 7. बुधिसंह अ.सा.3 अभियोक्त्री के पिता हैं। बुधिसंह अ.सा.1 अभियोक्त्री के गांव का व्यक्ति है, सुमतबाई अ.सा.4 अभियोक्त्री की मां है जिनकी साक्ष्य में अभियोक्त्री की इच्छा के बिना अथवा सहमित के बिना अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने की साक्ष्य नहीं है। अभियोक्त्री के गर्भ की

#### // 4 // <u>सत्र प्रकरण कमांक-34/2017</u>

जानकारी जब साक्षियों को हुई तो पहले अभियोक्त्री ने किसी का नाम नहीं बताया। बाद में फूलसिंह बैगा का नाम लिया। फूलसिंह ने अभियोक्त्री द्वारा धारण किये गये गर्भ को स्वयं का होना इंकार किया है तब प्रथमसूचना दर्ज हुई है।

- 8. राजकुमार अ.सा.5 पटवारी, सुलेखा मरकाम अ.सा.6 महिला प्रधान आरक्षक, डॉ एन.एस.कुमरे अ.सा.7, कुमारी सुषमा बघेल अ.सा.8, डॉ दर्शना चर्तुमोहता अ.सा.9, नीलेश परतेती अ.सा.10 निरीक्षक के कथनों को गुणदोष पर निराकरण कियू जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है।
- 9. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोक्त्री की इच्छा के बिनाा, उसकी सहमित के बिना, वह विक्षिप्त थी, उसे विवाह का झूडा वादा किया गया था, उसे मनःप्रभावी पदार्थ देकर नशे की स्थिति में संबंध बनाये गये थे सदृश अन्य आधारों का साक्ष्य में अभाव है। आरोपित अपराध, पमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कोई सार्थक साक्ष्य नहीं है।
- 10. अतः आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित किये जाने की साक्ष्य न होने से अभियुक्त <u>फूलसिंह बैगा को धारा 376 (2) (के) विकल्प में 376 (2) (एन) भा.द.वि. के आरोपित अपराध से दोषमुक</u> किया जाता है।
- 11. आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। वारंट पर लेख हो कि अभियुक्त की अन्य किसी मामले में आवश्यकता न हो तो उसे आज ही स्वतंत्र किया जावे, धारा 428 द0प्र0सं0 के अधीन प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 12. मामले में जप्तशुदा संपत्तियां स्लाईड व अन्य मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

shivam steno